

**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**

**1. अपील संख्या-6/2012/सिरोही**

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-सिरोही। ....अपीलार्थी  
बनाम  
मैसर्स सी.पी. त्रिवेदी एण्ड संस, स्वरूपगंज, सिरोही। .....प्रत्यर्थी

**2. अपील संख्या-7/2012/सिरोही**

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-सिरोही। ....अपीलार्थी  
बनाम  
मैसर्स सी.पी. त्रिवेदी एण्ड संस, स्वरूपगंज, सिरोही। .....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ**

**श्री नत्थूराम, सदस्य**

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप राजकीय अभिभाषक

अनुपस्थित

....अपीलार्थी की ओर से

....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.02.2017

**निर्णय**

1. उपर्युक्त अपील संख्या 6/12 व 7/12 ये 2 अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 58 के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रकरणों में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 27.06.11 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपील निर्णयों में अपास्त की गई मांग राशि, जिसके विरुद्ध सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-सिरोही (जिन्हें आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा ये अपीलें पेश की गई हैं जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है:-

1	2	3	4	5	6	7	8
अपील सं.	प्रथम अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या व निर्णय दिनांक	प्रत्यर्थी (व्यवहारी) का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण अधिकारी का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति
6/12	26/आरवेट/सिरोही/10-11 निर्णय दिनांक 27.06.2011	मै. सी.पी. त्रिवेदी एण्ड संस, स्वरूपगंज, सिरोही	2007-08	03.03.2010	-	-	5000
7/12	27/आरवेट/सिरोही/10-11 निर्णय दिनांक 27.06.2011	मै. सी.पी. त्रिवेदी एण्ड संस, स्वरूपगंज, सिरोही	2007-08	03.03.2010	-	-	5000

2. इन सभी अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

2m

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपरोक्त प्रकरणों के व्यवहारियों द्वारा वर्ष 2007-08 की रिटर्न देरी से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। कर निर्धारण अधिकारी ने कर विपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण धारा 58 के अन्तर्गत कॉलम संख्या 8 में वर्णित शास्ति आरोपित की। अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर के न्यायालय में व्यवहारियों द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने कॉलम संख्या 2 में वर्णित आदेशों द्वारा यह निर्धारित किया है कि नये प्रावधान दिनांक 08.07.2009 से ही प्रभावी हुए हैं तथा इन्हें पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं दिया गया है। अतः संशोधन दिनांक 08.07.2009 उन्हीं विवरणियों के मामलों में प्रभावी होंगे जो कि 08.07.2009 के पश्चात दाखिल किये जाने हैं। इस कारण इससे पूर्व की अवधि के तिमाही विवरणियों के लिए यह लागू नहीं होंगे। अतः उक्त प्रकरणों में अधिनियम की धारा 58 के तहत कर विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण पुराने प्रावधानों के तहत शास्ति आरोपित की जा सकती है। योग्य अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 27.06.2011 द्वारा धारा 58 के पुराने प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विवरणी को विलम्ब से पेश करने पर रुपये 500/- के हिसाब से शास्ति आरोपित करते हुए प्रत्येक प्रकरण में कुल रुपये 2,500/- की शास्ति यथावत रखते हुए शेष रुपये 2,500/- की शास्ति को अपास्त किया गया हैं।

4. उपरोक्त अपीलें दर्ज की जाकर रिकार्ड व प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। बहस विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक एकपक्षीय सुनी गई।

5. विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में धारा 58 के तहत दिनांक 08.07.2009 के वित्त अधिनियम द्वारा किये गये संशोधन के अनुक्रम में शास्ति आरोपित की गई है। ये प्रकरण वर्ष 2007-08 से संबंधित है तथा कर निर्धारण आदेश उक्त संशोधन के बाद पारित किय गया। अतः शास्ति का आरोपण कर निर्धारण आदेश पारित करने के समय विद्यमान विधिक प्रावधानों के अनुकूल ही किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत मायारानी पुंज बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, दिल्ली के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को दोहराया जिसके अनुसार विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने का अपराध निरन्तर अपराध (Continuing offence) की श्रेणी में आता है जो विलम्ब (default) होने के साथ यह अपराध शुरू होता है तथा बिक्री विवरण पत्र

प्रस्तुत करने तक जारी रहता है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने आगे कहा है कि माननीय न्यायालय ने इस निर्णय में यह भी निर्णित किया है कि अवहेलना (default) के समय जो कानून प्रचलित या उसके प्रावधान के अनुसार शास्ति आरोपणीय है। इस प्रकार उप-राजकीय अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा यह अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावलियों का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किया गया है। जिसमें अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकरण में कॉलम संख्या 8 के अनुसार शास्ति आरोपित की गयी। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन निर्णयों द्वारा उक्त आरोपित शास्ति में इस आधार पर कम कर दी कि उक्त प्रकरण वर्ष 2007-08 से संबंधित है। नये प्रावधान दिनांक 08.07.2009 से ही प्रभावी हुए हैं तथा इन्हें पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं दिया गया है। अतः संशोधन दिनांक 08.07.2009 उन्हीं विवरणीयों के मामलों में प्रभावी होंगे जो कि दिनांक 08.07.2009 के पश्चात दाखिल किये जाने हैं। अतः बिक्री विवरण पत्रों का विलम्ब दिनांक 08.07.2009 से पूर्व प्रारम्भ हो गया था तथा आलोच्य अवधि भी दिनांक 08.07.2009 से पूर्व की है। इसलिये धारा 58 के संशोधित प्रावधान जो कि दिनांक 08.07.2009 से पूर्व की है। इसलिये धारा 58 के संशोधित प्रावधान जो कि दिनांक 08.07.2009 से प्रभावी हुए हैं के तहत इन प्रकरणों में शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है।

8. दिनांक 08.07.2009 से पूर्व यानि दिनांक 07.07.2009 तक वैट अधिनियम की धारा 58 के जो प्रावधान प्रभावी थे, वो इस प्रकार हैं :-

(i) In case the dealer is required to pay tax every month under section 20, a sum equal to rupees ten per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in aggregate twenty percent of the tax so assessed.

(ii) In all other cases, a sum equal to rupees five per day subject to a maximum limit of rupees five hundred, for the period during which the default in furnishing of such return continues.

चूंकि हस्तगत प्रकरण में वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति विवादित है अतः वैट अधिनियम की धारा 58 का अध्ययन करना सुसंगत है। दिनांक 08.07.2009 से पुनः स्थापित (substitute) की गई है, वो इस प्रकार है :-

**"58 Penalty for failure to furnish return** - Where the assessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorized by the Commissioner is satisfied that any dealer has, without reasonable cause, failed "to furnish" prescribed returns within the time allowed, he may direct that such dealer shall pay by way of penalty.(i) in case the dealer is required" to pay tax monthly under section 20, a sum equal to rupees one hundred per day for first fifteen days of such default and thereafter a sum equal to rupees five hundred per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in the aggregate thirty percent of the tax so assessed; and

(iii) in all other cases, a sum equal to rupees fifty per day subject to a maximum limit of rupees five thousand, for the period during which the default in furnishing of such return continues.

9. हस्तगत प्रकरण के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खण्डपीठ तीन सदस्यीय माया रानी पुंज बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देहली के प्रकरण में दिए गए निर्णय (65 एसटीसी 416) में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख किया जाना समीचीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि यद्यपि विलम्ब से विवरणी प्रस्तुत करने का अपराध 29 सितम्बर, 1961 से प्रारम्भ हुआ और यह अपराध तब तक जारी रहेगा जब तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है। इस प्रकार विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने का अपराध निरन्तर अपराध (Continuing Offence) की श्रेणी में आता है। जो विलम्ब (Default) होने के साथ अपराध शुरू होता है तथा बिक्री विवरण पत्र प्रस्तुत करने तक जारी रहता है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है:-

"The imposition of penalty not confined to the first default but with reference to the continued default is obviously on the footing that non-compliance with the obligation of making a return, is an infraction as long as the default continued. Without sanction of law, no penalty is imposable with reference to the defaulting conduct. The position that penalty is imposable not only for the first defaulting but as, long as the default continues and such penalty is to be calculated at a unmistakable terms that as the default

2/12

लगातार.....5

continues and such penalty is to be calculated at a unmistakable terms that as long as the assessed does not comply with the requirements of law, he continues to be guilty of the infraction and exposes himself to the penalty provided by law."

उपरोक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रकरण था कि व्यवहारी, जिसको कर निर्धारण वर्ष 1961-62 के लिए आयकर विवरणी दिनांक 28.09.1961 तक प्रस्तुत करनी थी, ने उक्त अवधि में विवरणी प्रस्तुत नहीं कर, लगभग सात माह विलम्ब से यानी 03.05.1962 को प्रस्तुत की। परन्तु उक्त अवधि के दौरान आयकर अधिनियम, 1922 के स्थान पर आयकर अधिनियम, 1961 (1 अप्रैल 1862 से) प्रभावी हो चुका था, अतः आयकर अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 27(1)(ए) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए विलम्ब से प्रस्तुत विवरणी पर शास्ति आरोपित कर दी। माननीय न्यायालय ने इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 27(1)(ए) के अन्तर्गत शास्ति इस धारा के प्रावधानानुसार आरोपित की जानी न्यायोचित है क्योंकि इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात भी यह अपराध जारी रहा।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि विलम्ब से विवरणी प्रस्तुत करने का अपराध तब तक जारी रहेगा, जब तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है। इस प्रकार यह निरन्तर अपराध (Continuous Offence) की श्रेणी में आता है। जो विक्रय विवरणियां प्रस्तुत करने तक जारी रहता है।


12. उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारियों द्वारा देरी से कर विवरण प्रस्तुत करने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर कम कर दी कि संशोधन दिनांक 08.07.2009 उन्हीं विवरणियों के मामलों में प्रभावी होंगे जो कि 08.07.2009 के पश्चात दाखिल किये जाने हैं तथा इन्हें पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता जो कि उपरोक्त पैरा संख्या 8 ता 12 में की गई विवेचना के प्रकाश में विधिसम्मत नहीं है क्योंकि उपरोक्त समस्त प्रकरणों में कर विवरण देरी से प्रस्तुत हुए हैं, इसी बीच संशोधित प्रावधान 08.07.2009 को लागू हो चुका था तथा व्यवहारियों ने इसके पश्चात कर निर्धारण विवरण प्रस्तुत किया है तथा ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माया रानी पुंज बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देहली के प्रकरण में दिए गए निर्णय (65 एसटीसी

202

416) का न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागू होता है जिसके अनुसार विलम्ब से विवरणी प्रस्तुत करने का अपराध तब तक जारी रहेगा, जब तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है तथा यह निरन्तर अपराध (Continuous Offence) की श्रेणी में आता है जो विक्रय विवरणियां प्रस्तुत करने तक जारी रहता है। इस प्रकार विवरणियां देरी से प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण की दिनांक को प्रचलित प्रावधान लागू होते हैं तथा इस दृष्टिकोण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

13. परिणामतः ये अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2011 को अपास्त किया जाता है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्तियां आरोपित करने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

14. निर्णय सुनाया गया।

  
( नत्थूराम )  
सदस्य